न्यायालय उप खण्ड अधिकारी, सोजत जिला पाली
पीठासीन अधिकारीः– श्री गोपाल जांगिड़, आर.ए.एस.

राजस्व अपील संख्या 13/2022

वादी :–	बनाम	प्रतिवादीगण :–
01. भंवर कंवर पुत्री विजयसिंह पत्नी बहादुरसिंह जाति राजपूत निवासी– 1 ए रोड जोटवाडा जयपुर तहसील– जयपुर।		01. अणची कंवर बेवा जयसिंह जाति राजपूत निवासी– धांगड़वास हाल निवासी राजपूतों को मोहल्ला ग्राम पोस्ट भाण्डू तहसील व जिला जोधपुर
02. प्रेम कंवर पुत्री विजयसिंह पत्नी सुमेरसिंह जाति राजपूत निवासी– जोलियाली तहसील व जिला– जोधपुर		02. पुसाराम पुत्र शिवराम जाति देवासी निवासी– धांगड़वास तहसील– सोजत जिला पाली
03. छोटुकंवर पुत्री विजयसिंह पनी फतेहसिंह जाति राजपूत निवासी– भैसाणा तहसील– सोजत जिला– पाली		03. सरपंच ग्राम पंचायत चाडवास, तहसील– सोजत

राजस्व अपील अन्तर्गत धारा 75 भू राजस्व अधिनियम बखिलाफ नामान्तरकरण संख्या 1089 दिनांक 23.05.2022 सरपंच ग्राम पंचायत चाडवास द्वारा स्वीकृत दिनांक 13.06.2022

:–

1. श्री कल्पेश गोयल अधिवक्ता अपीलान्ट उपस्थित।

–: निर्णय :– दिनांक 12/10/22

अधिवक्ता मय अपीलांट ने उपस्थित होकर यह म्यूटेशन अपील अन्तर्गत धारा 75 एल.आर.एक्ट बखिलाफ नामान्तरकरण संख्या 1089 दिनांक 23.05.2022 सरपंच ग्राम पंचायत चाडवास द्वारा स्वीकृत दिनांक 13.06.2022 द्वारा स्वीकृत आदेश के विरूद्ध में प्रस्तुत कर निवेदन किया कि सरहद मौजा ग्राम धांगड़वास के खसरा संख्या 197 रकबा 1.1800 हैक्टर कृषि भूमि आई हुई स्थित है। उक्त कृषि भूमि के संबंध में श्रीमान सहायक कलेक्टर महोदय, सोजत में वाद संख्या 97/2013 अबनवान भंवरकंवर बनाम अणचीकंवर विचाराधीन था, जिस वाद का निर्णय दिनांक 16.05.2022 को श्रीमान के न्यायालय द्वारा वादीगण अपीललान्ट के पक्ष में पारित किया गया है तथ वादीगण को उक्त कृषि भूमि का खातेदार घोषित किया गया एवं उसी आशय की डिकी भी वादीगण के पक्ष में जारी की गई है। राजस्व वाद संख्या 97/2013 की पूर्ण जानकारी रेस्पोडेन्ट संख्या 01 को भलिभांति थी तथा उक्त वाद अंतिम बहस में विचाराधीन होने की पूर्ण जानकारी रेस्पोडैंट को होने के बावजूद भी रेस्पोडेन्ट संख्या 01 ने दिनांक 04.05.2022 को विधि विरूद्ध तरीके से मौके पर बिना कब्जा होते हुए बेचाननामा रेस्पोडेन्ट संख्या 02 के पक्ष में निष्पादित करवा दिया। वादीगण, अपीलान्ट के द्वारा उक्त राजस्व वाद के साथ ही अस्थाई निषेधाज्ञा का प्रा0 पत्र भी रेस्पोडेन्ट संख्या 01 के विरूद्ध पेश किया गया था, जिसके प्रकरण संख्या 112/2013 है। जिस प्रार्थना पत्र के सुनवाई करते हुए श्रीमान के द्वारा दिनांक 31.03.2014 को रेकर्ड व मौके की यथा स्थिति बनाए रखने एवं इसमें किसी प्रकार का परिवर्तन नहीं करने हेतु स्थगन आदेश जारी किया गया। उक्त स्थगन आदेश की जानकारी होने के बावजूद भी रेस्पोडेन्ट संख्या 01 ने बाले–बाले तथ्यों को छुपाते हुए उक्त बेचान रजिस्ट्री रेस्पोडेन्ट संख्या 02 के पक्ष में निष्पादित करवाई गई है जो अपीलान्ट के हक व अधिकारों के विरूद्ध बेअसर शून्य एवं अप्रभावी है। रेस्पोडेन्ट संख्या 01 व 02 को उक्त वाद में दिनांक 16.05.2022 को अपीलान्ट के पक्ष में वाद

उपखण्ड अधिकारी, सोजत (राज.)

निर्णत होने की जानकारी होने के बावजूद भी राजस्व अधिकारियों से मिली भगत कर उक्त अवैध बेचान रजिस्ट्री के आधार पर पटवारी हल्का चाडवास के द्वारा नामान्तरकरण संख्या 1089 दिनांक 23.05.2022 को ऑनलाईन दर्ज किया गया तथा पटवारी हल्का के द्वारा दिनांक 26.05.2022 को उक्त बेचान रजिस्ट्री का उल्लेख किया गया एवं दिनांक 02.06.2022 को भू–अभिलेख निरीक्षक के द्वारा जांच की गई तथा दिनांक 13.06.2022 को रेस्पोडेन्ट संख्या 03 से उक्त नामान्तरकरण विधि विरूद्ध तरीके से स्वीकृत करवा दिया गया, जो नामान्तरकरण संख्या 1089 प्रारम्भ से ही शून्य है तथा अपीलान्ट के हक व अधिकारों के विरूद्ध बेअसर शून्य एवं अप्रभावी है। जिससे रेस्पोडेन्ट संख्या 02 को कोई हक व अधिकार उत्पन्न नहीं होता है। ऐसी स्थिति में उक्त नामान्तकरण संख्या 1089 निरस्त किए जाने योग्य है। श्रीमान सहायक कलेक्टर महोदय, सोजत के द्वारा पारित आदेश की पालना हेतु अपीलान्ट के द्वारा श्रीमान तहसीलदार साहब, सोजत के समक्ष दिनांक 14.06.2022 को आवेदन पत्र पेश किया गया था जो जांच हेतु पटवारी हल्का को दिनांक 23.06.2022 को प्रेषित किया गया तब पटवारी हल्का के द्वारा श्रीमान सहायक कलेक्टर महोदय, सोजत द्वारा पारित आदेश के आधार पर नामान्तरकरण दर्ज नहीं किया गया। उसके बाद अपीलान्ट ने पटवारी हल्का से दिनाक 20.07.2022 को सम्पर्क कर म्यूटेशन दर्ज नहीं करने का कारण पूछा तो पटवारी हल्का ने उक्त कृषि भूमि में अणची कवर के स्थान पर पुसाराम का नाम दर्ज होना बताया तब अपीलान्ट ने बेचान रजिस्ट्री की नकल दिनांक 25.07.2022 को एवं उक्त नामान्तरकरण की नकले तहसील कार्यालय सोजत से दिनांक 27.07.2022 को प्राप्त होने पर उपरोक्त तथ्यों की पूर्ण जानकारी हुई, इसलिए अपीलान्ट ने यह अपील तैयार करवाकर अन्दर म्याद पेश है। श्रीमान सहायक कलेक्टर महोदय, सोजत के द्वारा पत्रावली संख्या 112/2013 बअनवान भंवरकंवर बनाम अणचीकंवर ने रेकर्ड एवं मौके की यथा स्थिति बनाए रखने हेतु अप्रार्थी/रेस्पोडेन्ट संख्या 01 पाबंद किया गया, उसके बावजूद भी विधि विरूद्ध तरीके से मूल वाद में अंतिम बहस होने के बावजूद भी रेस्पोडेन्ट संख्या 01 ने रेस्पोडेन्ट संख्या 02 के पक्ष में निष्पादित करवाई गई एवं राजस्व मूल वाद संख्या 97/2013 में दिनांक 16.05.2022 को वादीगण के पक्ष में वाद निर्णित होने की जानकारी होने के बावजूद भी विधि विरूद्ध तरीके से दिनांक 23.05.2022 को नामान्करण संख्या 1089 ऑनलाईन दर्ज कर दिनांक 13.06.2022 को रेस्पोडेन्ट संख्या 03 से स्वीकृत करवाया गया जो नामान्तरकरण प्रारम्भ से ही शून्य एवं निष्प्रभावी है। जिसे निरस्त किया जाना कानूनन आवश्यक एवं न्याय संगत है। इस प्रकार अधिवक्ता मय अपीलांट ने यह अपील पेश कर निवेदन किया है कि अपील अपीलाण्ट स्वीकार फरमाई जाकर ग्राम धांगड़वास के खसरा संख्या 197 का दर्ज म्युटेशन संख्या 1089 ग्राम पंचायत चाड़वास द्वारा स्वीकृत दिनांक 13.06.2022 को निरस्त किए जाने की ईस्तदुआ की है।

इस पर राजस्व अपील दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पोडेन्टस को जरिए नोटिसेस वास्ते जवाब तलब किया गया। रेस्पोडेन्ट संख्या 01 से 03 बावजूद तामीली सूचना बार–बार आवाजें दिलवाए जाने पर भी अनुपस्थित रहने से दिनांक 27.09.2022 को इनके विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही अमल में लाई गई।

बहस अधिवक्ता अपीलान्ट सुनी गई। दौराने बहस अधिवक्ता अपीलान्ट ने व्यक्त किया कि न्यायालय हाजा द्वारा राजस्व विविध पत्रावली संख्या 112/2013 बअनवान भंवरकंवर बनाम अणचीकंवर ने दिनांक 31.03.2014 को रेकर्ड एवं मौके की यथा स्थिति बनाए रखने हेतु अप्रार्थी/रेस्पोडेन्ट संख्या 01 पाबंद किया गया, उसके बावजूद भी विधि विरूद्ध तरीके से मूल वाद में अंतिम बहस होने के बावजूद भी रेस्पोडेन्ट संख्या 01 ने रेस्पोडेन्ट संख्या 02 के पक्ष में वादस्थ भूमि की बेचान रजिस्ट्री निष्पादित करवाई गई एवं राजस्व मूल वाद संख्या 97/2013 में दिनांक 16.05.2022 को वादीगण के पक्ष में वाद निर्णित होने की

उपखण्ड अधिकारी,
सोजत (राज.)

जानकारी होने के बावजूद भी विधि विरूद्ध तरीके से दिनांक 23.05.2022 को नामान्करण संख्या 1089 ऑनलाईन दर्ज कर दिनांक 13.06.2022 को रेस्पोडेन्ट संख्या 03 से स्वीकृत करवाया गया जो नामान्तरकरण प्रारम्भ से ही शून्य एवं निष्प्रभावी है। जिसे खारिज किए जाने की ईस्तदुआ की है।

पत्रावली का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया गया। बहस अधिवक्ता अपीलान्ट पर गौर कर मनन किया गया। अधिवक्ता अपीलान्ट द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजात म्यूटेशन संख्या 1089 दिनांक 23.05.2022, बेचान रजिस्ट्री दिनांक 04.05.2022, निर्णय मय डिक्री दिनांक 16.05.2022, न्यायालय हाजा द्वारा पारित निर्णय दिनांक 31.03.2014 की प्रमाणित प्रतियां आदि पेश की। जिनका गहनता से ध्यानपूर्वक अवलोकन कर बहस अधिवक्ता अपीलान्ट पर गौर कर मनन किया गया। अधिवक्ता मय अपीलाण्ट द्वारा धारा 05 म्याद अधिनियम में अंकित देरीना कारण युक्ति युक्त होने से धारा 05 म्याद अधिनियम के प्रार्थना पत्र को स्वीकार किया जाकर देरीना अवधि दिनांक 13.06.2022 से 04.08.2022 मे की देरीना अवधि को कण्डोन किया जाता है। न्यायालय हाजा में वादस्थ भूमि से संबंधित वाद विचाराधीन था जिसमें वादस्थ खसरा जात की भूमि खसरा नम्बर 74, 75, 79, 119, 189, 197 कुल खसरा 06 की भूमि के राजस्व रेकर्ड तथा मौके की यथा यथास्थिति रखने हेतु स्थगन जारी शुदा था तथा राजस्व मूल वाद संख्या 97/2013 में दिनांक 16.05.2022 को वादीगण के पक्ष में वाद निर्णित होने की जानकारी होने के बावजूद भी विधि विरूद्ध तरीके से दिनांक 23.05.2022 को नामान्करण संख्या 1089 ऑनलाईन दर्ज कर दिनांक 13.06.2022 को रेस्पोडेन्ट संख्या 03 से स्वीकृत करवाया गया उक्त नामान्तरकरण स्थगन आदेश प्रभाव में होने के बावजुद स्वीकृत किया जो विधिक प्रावधानो के विपरित होने से निरस्त योग्ये है। इस आधार पर उक्त नामान्तरकरण को न्यायोचित नही ठहराया जा सकता है। लिहाजा ग्राम धांगड़वास के खसरा संख्या 197 का दर्ज म्युटेशन संख्या 1089 ग्राम पंचायत चाड़वास द्वारा स्वीकृत दिनांक 13.06.2022 को निरस्त किया जाकर राजस्व अपील अंतर्गत धारा 75 एल.आर.एक्ट स्वीकार योग्य होने से स्वीकार किया जाना उचित समझते है।

—: <u>आदेश</u> :—

अतः अधिवक्ता मय अपीलांट द्वारा प्रस्तुत राजस्व अपील अंतर्गत धारा 75 एल.आर. एक्ट स्वीकार योग्य होने से स्वीकार की जाती है। ग्राम धांगड़वास के खसरा संख्या 197 का दर्ज म्युटेशन संख्या 1089 ग्राम पंचायत चाड़वास द्वारा स्वीकृत दिनांक 13.06.2022 विधि विरूद्ध होने से खारिज किया जाता है। तहसीलदार सोजत को इस निर्देश के साथ प्रति प्रेषित की जाती है कि वे ग्राम धांगड़वास के खसरा संख्या 197 का दर्ज म्युटेशन संख्या 1089 ग्राम पंचायत चाड़वास द्वारा स्वीकृत दिनांक 13.06.2022 को विधिक दस्तावेजो के आधार पर पुनः नये सिरे से जांच करके विधिसम्मत नामान्तरकरण पारित करें। तहसीलदार, सोजत को निर्णय की प्रति प्रेषित करके पालना मंगवाई जावें। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो। बाद तकमील जाब्ता दाखिल दफ्तर/लेख्य भण्डार हो।

(गोपाल जांगिड़)
उपखण्ड अधिकारी, सोजत
उपखण्ड अधिकारी,
सोजत (राज.)

यह निर्णय आज दिनांक १२\१०\२२को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर बाद हस्ताक्षर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(गोपाल जांगिड़)
उपखण्ड अधिकारी, सोजत
उपखण्ड अधिकारी,
सोजत (राज.)